

व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास

न. टीआरए—ओपीएनओपी—वीईएच—डीडब्लयूइएलएल—वी3—17(41761) / डी278 दीनांक : 7.6.2018

परिपत्र

विषय : व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास का कार्यान्वयन (प्रवेश जारी करना
वाहनों/उपकरणों/व्यक्तियों के लिए पर्मिट) (संशोधन) विनियम 2018 – के संबंध में

केन्द्र सरकार ने व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास को अनुमोदन दे दी है (प्रवेश जारी करना
वाहनों/उपकरणों/व्यक्तियों के लिए पर्मिट) (संशोधन) विनियम 2018 व.उ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास के
न्यासी बोर्ड द्वारा उप धारा (1) के तहत किया गया महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 132 की
उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 का (1963 का 38) और इसे दिनांक 01.06.2018 को राजपत्र में
अधिसूचना के लिए भेज दिया।

पत्तन में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों के लिए रुकने का समय और
जुर्माना इस प्रकार है:

क्र.सं0	वाहनों का प्रकार	टर्न राउंड के लिए अनुमति समय (पोस्ट 1, 11 और बैक चेक करें) (3)	दंड
1	कंटेनर (निर्यात)	चौदह घंटे चौदह घंटे से परे,	पचास रुपये का जुर्माना प्रत्येक बाद के लिए लगाया गया अधिक रहने के लिए दो घंटे।
2	कंटेनर (आयात)	पांच घंटे	पांच घंटे के बाद, जुर्माना प्रत्येक के लिए लगाया गया पचास रुपये बाद के दो घंटे रहने से अधिक।
3	अन्य कार्गो (निर्यात और आयात)	आठ घंटे	आठ घंटे से परे, जुर्माना के लिए लगाया गया पचास रुपये का हर बाद के दो घंटे अधिक रहने के लिए।
4	पत्तन के अलावा	चौबीस घंटे	चौबीस घंटे से परे, पचास रुपये का बाध्य जुर्माना होगया प्रत्येक बाद के लिए लगाया गया अधिक रहने के लिए दो घंटे।

उपरोक्त दरें अधिसूचना की तिथि से लागू हैं।

अनुरोध है कि वाणिज्यिक वाहनों के चालक कृपया पत्तन क्षेत्र में वाहनों के टर्न राउंड के लिए अनुमति समय और के विवरण के बारे में सूचित किया गया वाहनों के अधिक समय तक रुकने के लिए पत्तन को भुगतान किया जाने वाला दंड।

पत्तन क्षेत्र से बाहर निकलते समय चेक पोस्ट पर जुर्माना देय है।

यातायात प्रबंधक

वितरण: अंग्रेजी पाठानुसार